राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांक / सर्वे–रिसर्वे / 2026 / 4258
GCMS NO- 2026/310

दिनांकः–. 22.05.2026

:: आदेश::

प्रार्थीगण श्रीमती तुलसीदेवी पत्नी देवाराम व श्रीमती तीजो देवी पत्नी चेलाराम जाति चौधरी ने सर्वे रिसर्वे के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 84 व 85 कुल रकबा 02.0676 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरडी कलां तहसील सिवाना में अवस्थित है, सर्वे रिसर्वे के दौरान प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में से नया खसरा संख्या 86 किस्म रकबा 0.0375 हैक्टयर गै.मु. सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया, विवादित भूमियां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 पर स्थित होने से सडक सीमा में स्थित भूमि प्रार्थीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में दर्शाया गया है जो गलत है प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हक हिस्से में दर्शाया खसरा संख्या 86 को हटाया जाकर पुराना खसरा व नक्शानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में शद्विकरण हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सिवाना से रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार ग्राम पादरडी कलां तहसील सिवाना में खसरा संख्या 86 किस्म गै.मु.सडक की तरमीम खसरा संख्या 85 व 87 के मध्य हो गयी है जबकि मौके पर कोई रास्ता /सडक नहीं है और न ही गत नक्शे में उक्त जगह पर कोई रास्ता दर्ज था। तहसीलदार सिवाना ने खसरा संख्या 86 रकबा 0.375 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडक की तरमीम को मौके पर हटाया जाना उचित बताया है।

हमने तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेज पर गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि विवादित भूमि खसरा संख्या 85 व 87 के मध्य सर्वे रिसर्वे के दौरान तरमीम करते समय नया खसरा संख्या 86 किस्म गै.मु. सडक कायम कर दी गई पूर्व में उक्त खसरे के मध्य सडक विद्यमान नहीं थी प्रार्थीगण द्वारा उक्त ,त्रुटिपूर्ण तरमीम को निरस्त कर पुराने नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया गया है तथा तहसीलदार सिवाना ने भी रिपोर्ट में उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करना उचित बताया है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरडी कला तहसील सिवाना के खसरा संख्या 85 व 87 के मध्य कायम खसरा संख्या 86 की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज 22.05.26 दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्रसिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

जिला : बालोतरा

तहसील : सिवाना

दिनांक : 15/01/2026 11:42:19 AM

पटवारी हल्का : कुसीप

ग्राम : पादरडी कला

भू. अ. नि. क्षेत्र : थापन

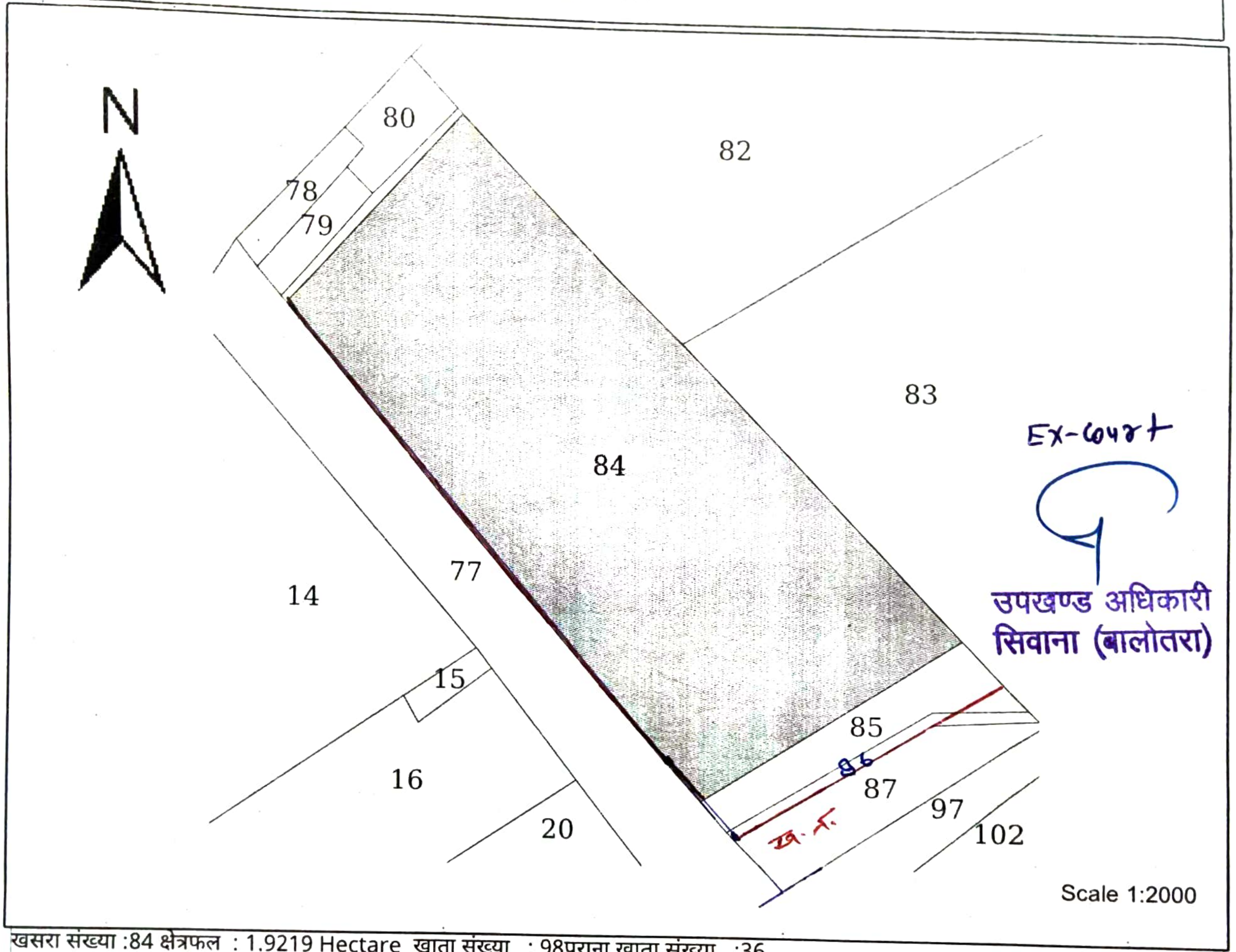

खसरा संख्या :84 क्षेत्रफल : 1.9219 Hectare खाता संख्या : 98पुराना खाता संख्या :36

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: मगरा [1.9219, 5.77]

1.) तुलसीदेवी पत्नि देवाराम हिस्सा- 1/2 जाति- चौधरी सा. भलरों का बाडा खातेदार

2.) तीजोंदेवी पत्नि चेलाराम हिस्सा- 1/2 जाति- चौधरी सा. होतरडा खातेदार

■ ← नवीन प्रस्तावित खसरा संख्या 86 की तस्वीर

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

15-01-2026

पटवारी (भू.अ.) कुसीप